प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं. 295/2022 दिनांक 27/7/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा 7,

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा........

(3) अधिनियम.............................. धारायें....................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........501.......समय..........5:20 P.M,

(ब) अपराध के घटने का दिनः **मंगलवार** दिनांक 26/07/2022, समय 2.43 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 25/07/2022, समय 11.30 ए.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः उत्तर, दूरी करीब 65 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर से

(ब) पताः– प्राईवेट पटवारी कार्यालय (मकान श्री विनोद यादव) कजारिया फैक्ट्री के सामने ग्राम गैलपुर, तहसील टपुकडा जिला अलवर।

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तो पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री सतपाल (ब) पिता का नाम :– श्री चन्द्रभान

(स) जन्म तिथि :– उम्र 49 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– दुकान

(ल)पताः– ग्राम भटकोल, पुलिस थाना शेखपुर, तहसील टपुकडा, जिला अलवर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री महेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री बाबू लाल गुर्जर,उम्र 30 साल, निवासी दानपुर, पुलिस थाना–रैणी, जिला अलवर हाल पटवारी हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपुकडा जिला अलवर (राज.)

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 05,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 25–07–2022 को समय 11.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द के सम्मुख परिवादी श्री सतपाल पुत्र स्व. श्री चन्दभान, जाति राजपुत, उम्र 49 साल, निवासी भटकोल, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर। विषयः– पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा के रिश्वतखोर पटवारी श्री महेश कुमार को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं सतपाल पुत्र चन्दभान, ग्राम भटकोल, तहसील टपूकडा, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैंने करीब एक वर्ष पूर्व मेरी माताजी का मृत्यू प्रमाण पत्र उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि का मेरे व मेरे भाईयों एवं बहिन के नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज करने के लिये तथा मेरी पत्नि के नाम से हमारे गॉव में ही खरीदी गई करीब 13 बिरवा जमिन का इन्तकाल मेरी पत्नि के नाम खुलवाने के लिए रजिस्ट्री की फोटोकापी तथा श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री सिताराम बणिया निवासी गौतोली की हमारे गॉव मेरे व मेरे भाईयों के नाम रजिस्ट्री से खरीदी गई 19 बिस्वा जमीन का इन्तकाल मेरे व मेरे भाईयों के नाम खुलवाने के लिये दो मूल रजिस्ट्री मैंने जनवरी 2022 में हमारे पटवार हल्का गौतोली के हल्का पटवारी महेश कुमार को दिया था। पटवारी ने हमारे उक्त इन्तकाल नही खोले तो मैं हमारे पटवार हल्का गौतोली के पटवारी श्री महेश कुमार से उक्त इन्तकाल खुलवाने के लिये कईबार मिला किन्तु उसने हमारे इन्तकाल नही खोले और उसने मेरे से कहा कि आप खर्चा–पानी के कोई रूपये पैसे तो देते नही हो और बिना पैसे दिये मेरे पास कोई काम नही होता है। आप खर्चा–पानी नही करोगें तो मैं तुम्हारा काम नही करूंगा और तुम्हारे यह इन्तकाल ऐसे ही पडे रहेगें। इसके बाद में कईबार हमारे हल्का के पटवारी श्री महेश कुमार से मिला किन्तु वह हमारे इन्तकाल नही खोल रहा है और प्रति इन्तकाल के 5000 रू0 के हिसाब से 15000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है और दिनांक 20.07.2022 को वह मेरे से 2000 रू0 रिश्वत के ले लिया तथा वह 15000 रू0 रिश्वत की और मांग कर रहा है। अब मैं महेश कुमार पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर को हमारे जायज कार्य इन्तकाल खोलने की एवज में रिश्वत नही देना

चाहता हूँ तथा उसको रिश्वत लेते हुये ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 25.07.2022 प्रार्थी सतपाल पुत्र श्री चन्द्रभान, जाति ओड राजपुत, उम्र 49 साल, निवासी भटकोल, तहसील टपूकडा, जिला अलवर, मोबाईल नं0 9610795020।" उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी श्री सतपाल को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सतपाल ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने करीब एक वर्ष पूर्व मेरी माताजी प्यारी बाई पत्नि स्व0 श्री चन्द्रभान का मृत्यू प्रमाण पत्र मेरी माताजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमीन का मेरे व मेरे भाईयों एवं बहिन के नाम विरासत का इन्तकाल खुलवाने के लिये तथा मेरी पत्नि श्रीमती सुमित्रा के नाम से हमारे गॉव में ही वर्ष 2016 में खरीदी गई करीब 13 बिस्वा जमीन का इन्तकाल मेरी पत्नि सुनिता के नाम खुलवाने के लिए रजिस्ट्री की फोटोकापी तथा श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री सिताराम बणिया निवासी गौतोली की हमारे गॉव में मेरे व मेरे भाईयों के नाम रजिस्ट्री से खरीदी गई 19 बिस्वा जमीन का इन्तकाल मेरे व मेरे भाईयों के नाम खुलवाने के लिये दो मूल रजिस्ट्री मैंने जनवरी 2022 में हमारे पटवार हल्का गौतोली के पटवारी श्री महेश कुमार गुर्जर को दिया था। किन्तु पटवारी श्री महेश कुमार ने हमारे उक्त इन्तकाल नही खोले तो मैं हमारे पटवार हल्का गौतोली के पटवारी श्री महेश कुमार से हमारे उक्त इन्तकाल खुलवाने के लिये कईबार मिला किन्तु उसने हमारे इन्तकाल नही खोले और उसने मेरे से कहा कि आप खर्चा पानी के कोई रूपये पैसे तो देते नही हो और बिना बात चक्कर लगाते रहते हो बिना पैसो दिये मैं आपका काम नही करूंगा और आप रिश्वत के पैसे नही दोगें तो तुम्हारे यह इन्तकाल ऐसे ही पडे रहेगें। इसके बाद, मैं हमारे हल्का के पटवारी श्री महेश कुमार से कईबार मिला किन्तु वह हमारे इन्तकाल नही खोल रहा है और प्रति इन्तकाल के 5000 रू0 के हिसाब से 15000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है और उसने दिनांक 20.07.2022 को मेरे से 2000 रू0 रिश्वत के ले लिये है तथा वह मेरे से 15000 रू0 रिश्वत की ओर मांग कर रहा है। अब मैं महेश कुमार पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर को हमारे जायज कार्य इन्तकाल खोलने की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसको रिश्वत लेते हुये ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही कोई उधार का लेन--देन बकाया है। परिवादी श्री सतपाल ने यह भी बताया कि वह पढा लिखा नही है, उसको मात्र अक्षर ज्ञान ही है और अपने हस्ताक्षर करना जानता है तथा ठीक से पढ–लिख नही पाता है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल-बोल कर एक कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री सतपाल ने अपनी पत्नि श्रीमती सुनिता के नाम से क्रय की गई जमीन की रजिस्ट्री की, परिवादी, परिवादी के भाई किशनचन्द के नाम से क्रय की गई जमीन की रजिस्ट्री एवं परिवादी के भाई श्री दलवीर के नाम से क्रय की गई जमीन की रजिस्ट्री की छायाप्रतियॉ एवं अपने आधार कार्ड की छायाप्रति पर स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया, जिन्हे बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं उस पर की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर समय 01.00 पी.एम. पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री सतपाल को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री निहाल सिंह कानि. 595 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी एवं कानि. को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25–7–2022 समय 6.00 पी.एम. पर परिवादी के हमराह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री निहाल सिंह कानि0 595 मय परिवादी श्री सतपाल के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री निहाल सिंह कानि0 595 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी सतपाल ने बताया कि मैं व आपका कर्मचारी श्री निहाल सिंह कानि0, ब्यूरों कार्यालय अलवर से मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर कजारिया फैक्ट्री, गैलपुर के सामने दुकान में स्थित श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली के किराये के कार्यालय के पास पहुंचे, जहाँ पर आपके कर्मचारी ने समय करीब 02.45 पी0एम0 पर मुझे ए0सी0बी0 का टेपरिकार्डर चालू कर दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी के किराये के कार्यालय/दुकान के अन्दर चला गया और श्री निहाल सिंह कानि0, पटवारी के किराये के कार्यालय/दुकान के सामने कजारिया फैक्ट्री के गैट के पास खडा हो गया। श्री महेश कुमार पटवारी मुझे अपने कार्यालय में मौजूद मिले, जिनसे मैं हमारे इन्तकालों के बारे में बातचीत करने लगा तो पटवारी जी मुझे साथ लेकर अपने किराये के कार्यालय/दुकान के बाहर आ गये, जिससे मैंने हमारे इन्तकाल खोलने के सम्बन्ध में वार्ता की तो पटवारी श्री महेश कुमार ने हमारे इन्तकाल खोलने की एवज में मेरे से प्रति इन्तकाल 5000-5000 रू0 के हिसाब से तीनों रजिस्ट्रीयों के इन्तकाल खोलने के लिये 15,000 रू0 रिश्वत की मांग कर 5000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया तथा पूर्व में 2000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करना स्वीकार किया। मेरे व पटवारी के आपस में हुई सभी बातों को मैंने ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। इसके बाद पटवारी अपने किराये के

कार्यालय/दुकान के अन्दर चला गया और मैं श्री निहाल सिंह कानि0 के पास आकर उक्त टेपरिकार्डर श्री निहाल सिंह कानि0 को दे दिया, जिसे श्री निहाल सिंह कानि0 ने बन्द करके अपने पास रख लिया और उक्त तथ्य मैंने श्री निहाल सिंह को भी बता दिये। इसके बाद मैं व श्री निहाल सिंह कानि0 गैलपुर से रवाना होकर आपके पास आ गये। पूछने पर श्री निहाल सिंह ने परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि परिवादी श्री सतपाल व पेन्ट–शर्ट पहने हुये दाढी वाले एक नौजवान व्यक्ति को उक्त कार्यालय/दुकान के बाहर आकर साथ खडे होकर आपस में वार्ता करते हुये देखा है। उक्त नौजवान व्यक्ति को ही परिवादी श्री सतपाल ने मुझे श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर होना बताया है। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री निहाल सिंह कानि0 595 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, जिसमे परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी।

दिनांक 25.07.2022 को समय 07.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री सतपाल ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसके पास आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और उसको अभी अपने गॉव जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है तथा वह अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26.07.2022 को प्रातः ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता एवं दिनांक 26.07.2022 को प्रातः 09.00 ए0एम0 रिश्वती राशि 5000 रू0 सहित उपस्थित होने की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। साथ ही कार्यवाही में सहयोग हेतु ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से श्री राजवीर कानि0 443 एवं श्री रामजीत कानि0 209 को दिनांक 26.07.2022 को 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया तथा कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 26.07.2022 को समय 09.00 ए0एम0 कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 26.07.2022 को उक्त कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी, जिला अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर पत्र श्री इन्द्रजीत कानि0 चालक 333 को प्रदत्त कर गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 09.15 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी अलवर द्वितीय से तलबशुदा श्री राजवीर कानि0 443 व श्री रामजीत कानि0 209 ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से एवं समय 09.30 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री सतपाल ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित आया और मन पुलिस निरीक्षक को अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रू0 अपने साथ लेकर आना बताया। समय 09.45 ए0एम0 पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अलवर से तलब शुदा गवाह श्री नितिन यादव, वरिष्ठ सहायक एवं श्री बाबूलाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त, अलवर, कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री सतपाल एवं उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा दोनों गवाहान को परिवादी श्री सतपाल द्वारा दिनांक 25.07.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री सतपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात दिनांक 26.07.2022 को समय 10.00 ए0एम0 पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री सतपाल एवं संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 25.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी सतपाल द्वारा अपनी आवाज की व संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी श्री सतपाल ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"ए–1"**, मार्क **"ए–2"** एवं मार्क **"ए–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सतपाल के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"ए–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं

जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 26.07.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क **ए–1 व ए–2** को जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात समय 11.00 एएम0 पर गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सतपाल को संदिग्ध आरोपी श्री महेश चन्द गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री सतपाल ने अपने पास से 500 500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित किया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5,000/– रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री सतपाल की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन यादव से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 5,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री सतपाल की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में श्री निहाल सिंह कानि0 595 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री सतपाल व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगें तो उनके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उन्होंने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सतपाल को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास वगैव आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 25.07.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री सतपाल को सुपुर्द किया गया तथा श्री निहाल सिंह कानि0 595 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात दिनांक 26.07.2022 को समय 11.45 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी सामान के दो प्राईवेट वाहनों एवं एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के तथा परिवादी श्री सतपाल व श्री निहाल सिंह कानि0 595 को परिवादी की स्कूटी से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब गैलपुर, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। समय 02.30 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कजारिया फैक्ट्री, गैलपुर के पास पहुंचा, जहाँ पर तीनों वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर मन पुलिस निरीक्षक ने समय 02.33 पी0एम0 श्री निहाल सिंह कानि0 595 से परिवादी का टेपरिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री सतपाल को उसकी स्कूटी से संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार, पटवारी, पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के पास उसके किराये के कार्यालय/दुकान के लिये रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के संदिग्ध आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी के किराये के कार्यालय/दुकान के आप–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

दिनांक 26.07.2022 को समय 2.43 पी.एम. पर अलवर– भिवाडी नेशनल हाईवे रोड पर ग्राम गैलपुर मे कजारिया फैक्ट्री के सामने स्थित एक प्राईवेट मकान के बाहर से परिवादी श्री सतपाल ने अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक

उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहाँ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तब परिवादी श्री सतपाल ने उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम के समक्ष उक्त मकान के बाहर बनी एक दुकान की ओर ईशारा करके बताया कि पटवारी श्री महेश कुमार ने मेरे से अभी अभी उक्त मकान के मुख्य दरवाजे के अन्दर अपनी मांग अनुसार तय की गई 5,000 रूपये की रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करके नोटो को अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखकर उक्त दुकान के अन्दर चला गया है, जो अभी अन्दर बैठा हुआ है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री सतपाल को दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सहित अपने हमराह लेकर उक्त दुकान पर गये तो सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक नवयुवक की तरफ ईशारा करके बताया कि यह श्री महेश कुमार पटवारी है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उक्त दुकान मे प्रवेश कर उक्त नवयुवक को अपना एवं हमराहीयान परिवादी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा गया तो उक्त नवयुवक घबरा गया और उसके चेहरे की हवाईयॉ उड गई। इस पर उक्त नवयुवक से उसका परिचय पूछा गया तो उसने घबराते हुए अपना नाम महेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री बाबू लाल गुर्जर, निवासी दानपुर, पुलिस थाना– रैणी, जिला अलवर हाल पटवारी हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपुकडा जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त आरोपी महेश कुमार से मन् पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 25–07–2022 को परिवादी श्री सतपाल से 15,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 5,000 रूपये की रिश्वत राशि लेना तय करने एवं अपनी उक्त रिश्वत राशि की मांग के क्रम मे आज दिनांक 26–07–2022 को अभी अभी ली गई 05,000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी ने बताया कि यह सतपाल कल दिनांक 25–7–2022 को मेरे पास शाम के समय आया था, तब इसने अपने बकाया इन्तकाल खोलने के बारे मे मेरे से बातचीत की थी, तब इसने मुझे कहा था कि आपका जो खर्चा पानी लगेगा वह दे देंगे। इस पर मैने 15 हजार रूपये मेरे खर्च पानी के देने हेतु कहा था। फिर इसने मिन्नत की तो मैने इसे पांच हजार रूपये देने हेतु कहा था। इसने माह जनवरी–2022 मे अपनी रजिस्ट्री नामान्तकरण खुलवाने हेतु दी थी। आज दिनांक 26–7–2022 को अभी कुछ देर पहले यह मेरे से आकर मिला तो मै इसके साथ मेरे कार्यालय से बाहर आया और इसने उक्त मकान के मुख्य दरवाजे के अन्दर ले जाकर मुझे 500–500 रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये अपने पास से निकाल कर दिये तो मैने इससे नोटो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर उन्हे गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखकर वहां से वापस आकर मै अपने उक्त कार्यालय मे बैठ गया। अभी सतपाल द्वारा दिये गये पांच हजार रूपये मेरी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे ही रखे हुए है। इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि साहब ये पटवारी जी झुंठ बोल रहे है। मेरी माताजी श्रीमती प्यारी बाई का स्वर्गवास हो जाने पर उनके नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज भूमि का मेरे एवं मेरे भाईयो व बहनो के नाम से विरासत का नामान्तकरण खुलवाने तथा मेरे द्वारा मेरी पत्नि श्रीमती सुमित्रा के नाम से क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण मेरी पत्नि के नाम से तथा मेरे एवं मेरे भाईयों द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण मेरे एवं मेरे भाईयों के नाम से नामान्तकरण खुलवाने हेतु समस्त दस्तावेज मैने माह जनवरी 2022 मे हमारे उक्त पटवारी श्री महेश कुमार को दिये थे। इनके द्वारा उक्त नामान्तकरण नही खोलने पर मै दिनांक 20–7–2022 को इन पटवारी जी से सम्पर्क किया तो इन्होने मेरे से खर्चे पानी की मांग करते हुए उसी समय दो हजार रूपये ले लिये तथा प्रति नामान्तकरण पांच हजार रूपये के हिसाब से 15 हजार रूपये ओर रिश्वत की मांग की। इस पर मैने आपके कार्यालय मे दिनांक 25.07.2022 को इस बाबत शिकायत पेश की, जिस पर आप द्वारा कल दिनांक 25–07–2022 को अपने कार्यालय का टेप देकर मुझे आपके कार्यालय के कर्मचारी के साथ रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु भिजवाया, तब मै इनसे इसी ऑफीस मे आकर इस पटवारी जी से मिला और मेरे बकाया नामान्तकरणों के बारे मे बातचीत की तो इन्होने मेरे से 15 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा इनसे रिश्वत राशि कम करवाने हेतु काफी मिन्नत की और इनके पैर पकडे तब इन्होने मुझे पांच हजार रूपये अपने स्वंय के लिये रिश्वत के लेने हेतु कहॉ। इनकी इसी मांग के क्रम मे आज मै इनके पास आया तो ये इनके इस कार्यालय से बाहर निकलकर उक्त मकान के मुख्य दरवाजे के अन्दर गये। जहाँ पर इन्होने मुझे अपनी मांग अनुसार तय की हुई पांच हजार रूपये की रिश्वत राशि देने हेतु कहा तो मैने अपने पास रखे हुए पाऊडर लगे 05,000 रूपये इनको दिया तो इन्होने मेरे से नोटो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखकर यह अपने इस ऑफीस मे आ गया और मैने आपको ईशारा कर दिया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के कार्यालय में रखे हुये पानी से एक बोतल में पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ कॉच के गिलास निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की

शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 व R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी के बाये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1 व L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी द्वारा बताये अनुसार उसके शरीर पर पहनी हुई पेन्ट बरंग ब्राऊन की आगे की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी गवाह श्री बाबू लाल मीना से लिवाई गई तो उन्होंने उक्त जेब मे से 500 रूपये के नोट मे फोल्ड किये हुए कुछ रूपये निकाले। उक्त दोनो गवाहान से उक्त राशि को गिनकर बताने हेतु कहा तो उसने 500–500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 05,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटो का विवरण फर्द बरामदगी व जब्ती रिश्वत राशि में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा नम्बरी 05,000 रूपये के नोटो को एक सफेद कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटो के लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया।

परिवादी श्री सतपाल द्वारा नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पेश करने हेतु आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी को कहा गया तो उसने अपनी टेबल पर रखे हुए दस्तावेजो के पैड मे से परिवादी सतपाल द्वारा अपने एवं अपने भाई के नाम से तथा परिवादी के भाई दलवीर सिंह द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि की दो मूल रजिस्ट्री निकाल कर पेश की। जिनको गवाह श्री नितिन यादव को दिलवाई गई। उक्त रजिस्ट्री जब्ती की कार्यवाही अलग से अमल मे लाई जावेगी।

उपरोक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर लोगों की भीड एकत्रित होने के कारण एवं आरोपित पटवारी के उक्त कार्यालय/दुकान के अन्दर लाईट इत्यादि की उपयुक्त व्यवस्था नही होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही को रोका गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त जब्तशुदा सील्डबंद रिश्वत राशि, धोवण के सैम्पलो इत्यादि को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखवाकर मय आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी, दोनो गवाहान, परिवादी, ब्यूरो स्टाफ एवं ट्रेप बॉक्स को हमराह लेकर मय वाहनों के अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना टपूकडा पर पहुंचकर सम्पन्न करने हेतु आरोपित पटवारी के उक्त कार्यालय/दुकान से समय 04.00 पी0एम0 पर रवाना होकर समय 04.15 पी0एम0 पर पुलिस थाना टपुकडा पहुंचकर आरोपी पटवारी श्री महेश कुमार, परिवादी एवं दोनो गवाहान को थानाधिकारी के कक्ष में बैठाया जाकर उक्त के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

पुलिस थाना पर आरोपी श्री महेश कुमार के पहनने हेतु लोवर मंगवाया गया तथा आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी को पहनने हेतु दिया जाकर उसे पहनी हुई अपनी पेन्ट उतारकर देने हेतु कहा गया तो पटवारी ने अपनी पहनी हुई पेट बरंग ब्राऊन उतारकर पेश की। उक्त पेन्ट की जेबो की तलाशी लिवाई गई तो उक्त पेन्ट की बांयी जेब मे एक मोबाईल फोन मिला। जिसको आरोपी के परिवारजन के उपस्थित आने पर सुपुर्द किया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई राशि, दस्तावेज, वस्तु इत्यादि बरामद नही हुए। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना मे रखे हुए पानी के कैम्पर मे से एक बोतल मे पानी भरवाकर मंगवाया। ट्रैप बाक्स मे से एक अन्य साफ काँच के गिलासो को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी के शरीर से उतराई गई पेट की आगे की दहिनी साईड की जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को उलटवाकर उक्त घोल के गिलास मे डूबोकर उसका धोवन करवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P -1 एवं P -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की जेब को अच्छी तरह से सुखाकर उस पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी श्री महेश कुमार के हस्ताक्षर करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उक्त थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P से चिन्हित कर कब्जे पुलिस लिया गया।

परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादी श्री सतपाल एवं आरोपी श्री महेश कुमार पटवारी को अलग अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होन के बारे में पूछा गया तो दोनो ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से

मना किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सतपाल से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यापित प्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के दौरान उजागर हुये हालात से आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री सतपाल से उसकी माताजी श्रीमती प्यारी देवी के नाम पर दर्ज भूमि का उनकी मृत्यु होने से परिवादी एवं उसके परिवारजनों के नाम पर विरासत का नामान्तकरण तथा परिवादी द्वारा अपनी पत्नि एवं भाईयों द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 25–7–2022 को अपने स्वंय के लिये 15,000 रूपये रिश्वत की माँग कर 5,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 26–7–2022 को परिवादी से 5,000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होने के कारण आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया कारीत होना पाया जाने से उक्त आरोपी को समय 07.30 पी0एम0 पर उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.07.2022 समय 08.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी के दो प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन के मौका पुलिस थाना टपूकड़ा, जिला भिवाडी (अलवर) से घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु मैलपुर के लिये रवाना होकर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर वहां से रवाना होकर गिराफ्तारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में बन्द करने हेतु पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर को सुपुर्द कर समय 11.15 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी अलवर प्रथम उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को कार्यालय में रखवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात समय 11.30 पी0एम0 पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री सतपाल एवं आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 26.07.2022 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोड़कर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सतपाल द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकड़ा, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"बी–1"**, मार्क **"बी–2"** एवं मार्क **"बी–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सतपाल के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क **"बी–1"** व मार्क **"बी–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"बी–1"** व मार्क **"बी–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"बी–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं 01 मे दिनांक 25.07.2022 को परिवादी व आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं एवं दिनांक 26.07.2022 को परिवादी व आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क **S** अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। बाद कार्यवाही उक्त कार्यवाही मे जब्त किये गये समस्त आर्टीकल्स को सील्ड मुहर करने व फर्दात पर नमूनाशील अंकित करने के लिए प्रयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं 39 पीतल का नमूना फर्द पर अंकित कर उक्त सील को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तुड़वाकर नष्ट करवाई गई।

दिनांक 27.07.2022 को समय 01.30 ए0एम0 पर जब्तशुदा /सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तशुदा रिश्वती राशि 05 हजार रू0 श्री गौरे लाल हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया जाकर समय समय 02.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री सतपाल एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से आमदा स्टाफ सदस्यो को कार्यालय से रवाना किया गया।

परिवादी श्री सतपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उस पर अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एव मौके के हालात से आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री सतपाल से उसकी माताजी श्रीमती प्यारी देवी के नाम पर दर्ज भूमि का उनकी मृत्यु होने से परिवादी एवं उसके परिवारजनों के नाम पर विरासत का नामान्तकरण तथा परिवादी द्वारा अपनी पत्नि एवं भाईयों द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 25-7-2022 को अपने स्वंय के लिये 15,000 रूपये रिश्वत की माँग कर 5,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 26-7-2022 को परिवादी से 5,000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 30 साल, निवासी दानपुर, तहसील वथाना रैणी, जिला अलवर, हाल पटवारी पटवारी हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपूकडा, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेश कुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का खिदरपुर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गौतोली, तहसील टपुकड़ा, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 295/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2583-87 दिनांक 27.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

27.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर